सिफारिशे

1. विभाग अपनी आगामी आईएस आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी कारोबार नीतिगत के अनुसार आईएस योजनायें बनाने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाने पर विचार करें।

(पैराग्राफ 2.1)

2. विभाग के दुर्गम लक्ष्य आईटी प्रणलियों के सुगम संचालनों के लिए आईटी कार्मिकों की भर्ती, विकास और प्रशिक्षण द्वारा सीबीईसी के आईएस प्रबंधन के प्रबंधन हेतु आंतरिक दक्षता के विकास के लिए कार्मिकों नीति विकसित करे।

(पैराग्राफ 2.3)

3. पासवर्ड नीति जैसे तार्किक सुरक्षा अवयवों के संचालनात्मक विशेषताओं में कोई परिवर्तन निरपवाद रूप से परिवर्तनों के उचित अनुज्ञप्ति और दस्तावेजीकरण के बाद ही कार्यान्वित किए जाएं।

(पैराग्राफ 2.5)

4. कमियों का पता लगाने तथा एप्लिकेशन में सुधार का सुझाव देने के लिए विभाग लेखापरीक्षित अपने कोर एप्लिकेशन (आईसीईएस 1.5) की आवधिक रूप से जाँच करें। सरकार के पास नीतिगत नियंत्रण आवश्यक रूप से होना चाहिए और तदनुसार, एसएलएज़् की तत्काल समीक्षा की जाए।

(पैराग्राफ 2.6)

5. डीओएस टैरिफ लाइन मदों के साथ आरएसपी अधिसूचना के क्रम संख्याओं की मैपिंग करे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एप्लिकेशन में आवश्यक वैधता निश्चित करें कि निर्यातक आरएसपी घोषित करते हैं, यदि आरएसपी अधिसूचना के तहत शामिल एक टैरिफ लाइन मद के अंतर्गत कोई आयात किया जाता है।

(पैराग्राफ 3.2)

6. विभाग संबंधित मामलों का पता लगाने के लिए आईसीईएस एप्लिकेशन और आरएमएस में उचित वैधता शुरू करे। आयात लागत से नीचे

घोषित आरएसपीज़् पर मंजूर बहुत से मालों को देखते हुए आरएमएस द्वारा एसीपी ग्राहकों को दी गई सुविधा की फिर से जाँच की जाए।

(पैराग्राफ 3.3)

7. सीमाशुल्क और संबंधित केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अनुसूचियों के अध्याय 1 से 98 के तहत वर्गीकरणयोग्य सभी मालों के लिए सटीक निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए समान सीईटीएच/सीटीएच की घोषणा के लिए आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन में वैधता जाँच प्रदान की जाए।

(पैराग्राफ 3.7 और 3.8)

8. डीजीएफटी और आईसीईगेट के बीच सूचना आदान–प्रदान हेतु प्रस्तावित निर्यात दायित्व डिस्चार्ज प्रमाणपत्र (ईओडीसी) को मूर्त रूप नहीं दिया गया । ईओडीसीज़् की मैनुअल ट्रांसमिशन और उनकी मानीटरिंग दक्ष नहीं पाई गई। तथापि, एप्लिकेशन डेटाबेस में उपलब्ध डाटा-डिस्चार्ज फेलियर रिपोर्ट सृजित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और ईओडीसी से संबंधित राजस्व वसूली प्रक्रिया के समय पर शुरूआती लाइसेंस धारक के साथ-साथ डीजीएफटी का अनुसरण किया जा सकता है।

(पैराग्राफ 3.19.1)

9. अस्थायी निर्धारणों से संबंधित सूचना शुल्क की कम उगाही वाले मामलों में की गई कार्रवाई और मैनुअल चालानों के माध्यम से अदा शुल्क को एप्लिकेशन में दिया जाए ताकि प्रत्येक आयात/निर्यात निर्धारण रिकार्ड से संबंधित डाटा को अद्यतन अनुमत किया जा सके।

(पैराग्राफ 3.19.3 और 3.19.4)